बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–12.06.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त
2. कृषि उत्पादन आयुक्त
3. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
6. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
7. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
8. सचिव, जल संसाधन विभाग
9. सचिव, ऊर्जा विभाग
10. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
11. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग
12. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
13. उपनिदेशक, कृषि विभाग

आपदा प्रबंधन समूह को निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के द्वारा वर्ष 2015 में दक्षिण–पश्चिमी मॉनसून वर्षा का दीर्घावधि पूर्वानुमान की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–02.06.2015 को जारी की गयी है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार समूचे देश में वर्ष 2015 की मॉनसून ऋतु (जून से सितम्बर) में औसत वर्षा आठ प्रतिशत की घट बढ़ के साथ दीर्घ अवधि मॉडल औसत (LPMA) की 90% होगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें बिहार भी आता है में दीर्घ अवधि मॉडल औसत (LPMA) की 88% ± 8% होगी।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार समूचे देश के लिए मानसूनी वर्षा (जून से सितम्बर) के लिए 5 श्रेणियों की संभावना (Probability) बतलाया गया है।

श्रेणी	वर्षा की रेंज (अल पी ए का %)	पूर्वानुमान संभाव्यता (Forecast Probability) (%)	जलवायविक संभाव्यता (Climatological Probability) (%)
न्यून	<90	66	16
सामान्य से कम	90-96	27	17
सामान्य	96-104	07	33
सामान्य से अधिक	104-110	00	16
अधिक	>110	00	17

वर्णित स्थिति में मानसून 2015 में राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :–

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने दक्षिण–पश्चिमी मॉनसून की स्थिति बताते हुए जानकारी दी कि पूरे भारत वर्ष में मानसून कमजोर रहेगा। उन्होंने बताया कि 13–14 जून से बिहार में मानसून आगमन की संभावना है तथा पटना तक यह 17–18 जून तक यह पहुंचने की संभावना है। माह जून–जुलाई के तुलना में माह अगस्त–सितम्बर में वर्षापात में कमी अधिक होगी।

2. कृषि विभाग

कृषि उत्पादन आयुक्त के द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ–साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि डि0एस0आर0 विधि के तहत 46,245 एकड़ में चावल की सीधी बोआई, 117409 एकड़ क्षेत्र में चावल के प्रतिरोधी प्रभेदों के प्रत्यक्षण का कार्यक्रम है एवं राज्य में 5900 एकड़ क्षेत्र में अरहर/उड़द/ मुंग तथा 17981 एकड़ क्षेत्र में मक्का के अर्न्तवर्ती खेती का कार्यक्रम है। साथ ही 20833 एकड़ में हाइब्रीड मक्का के प्रत्यक्षण कार्यक्रम है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य मे 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के अन्तर्गत ₹769.06 करोड़एवं आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत ₹24.28 करोड़ कुल ₹793.34 करोड़ की राशि की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की धान के आच्छादन के क्षेत्रफल में बिना कमी करते हुए मक्का उत्पादन के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाय और इसके लिए अभी से ही कार्य योजना बना ली जाय। क्योंकि पिछले वर्ष अंतिम समय में मक्का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाने के कारण उतनी सफलता नहीं मिली थी। इसके साथ ही डीजल अनुदान की व्यवस्था भी की जाय। डीजल अनुदान किसानों का मनोबल बनाए रखता है। उन्होंने यह भी निदेशित किया कि धान का आच्छादन बढ़ाने के लिए Broadcasting आच्छादन हेतु प्रयास किया जाय तथा सामुदायिक नर्सरी तैयार की जाए ताकि कम वर्षा होने पर भी बिचड़े उपलब्ध हो सके। उपर्युक्त संदर्भ में कृषि विभाग से एक कार्ययोजना की मांग की गई।

3. लघु जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु 10000 राजकीय नलकूपों के विरूद्ध मात्र 2800 नलकूप ही कार्यरत है। जिससे 1.12 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा सकता है। यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। निजी नलकूप लगाने की गति तेज

करने हेतु डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही Channels की मरम्मति का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की नलकूपों की मरम्मति अविलम्ब पूरी की जाय और साथ में प्रत्येक जिले में कम से कम पाँच अतिरिक्त मोटरपम्प और लघु मरम्मति के लिए आवश्यक कलपूर्जे आरक्षित कर रखने की व्यवस्था की जाए ताकि आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब हो सके। प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से उपर्युक्त के संबंध में एक कार्ययोजना तथा प्रत्येक सप्ताह बैठक में नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए लगातार कार्य किएं जा रहे हैं तथा 71 जले हुए ट्रांसफॉर्मर के विरूद्ध 41 ट्रांसफॉर्मर को बदल दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खरीफ फसल के आच्छादन के पूर्व निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना तैयार कर ली जाय तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र उर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013 की तुलना में कहीं भी भूगर्भ जल स्तर में कमी नहीं आयी है तथा नये चापाकलों का अधिष्ठापन एवं पुराने चापाकलों की लघु मरम्मति की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु निविदा आमंत्रण आदि का कार्य ससमय पूरा कर लिया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर भू–जल स्तर का प्रतिवेदन तैयार करेंगे और पृथक–पृथक डॉटा नहीं भेजेगें। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवतापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मति करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय। साथ ही टैंकरों से पानी पहुँचाने हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए।

6. स्वास्थ्य विभाग

प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्रो में पर्याप्त मात्रा में मानव दवा के भंडारण की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाय।

7. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु दवा जिलों में उपलब्ध

लिए जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि राजकीय नलकूप, तालाब, जलाशय को चिह्नित कर पशु शिविर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्य योजना तैयार कर ली जाय। साथ हीं सूखे चारे की आपूर्ति हेतु स्रोत चिह्नित कर लें एवं निविदा आमंत्रित कर दर निर्धारण भी कर लें।

8. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि बाण सागर जलाशय में पानी की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सोन नहर में 14000 क्युसेक की जगह मात्र 4000 क्युसेक पानी उपलब्ध है। कोसी नहर में भी मरम्मति कार्य के कारण अभी पानी बंद कर दिया गया है, जिसे जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। डैम में भी वर्त्तमान में अपनी क्षमता के 20 से 25 प्रतिशत ही पानी उपलब्ध है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि किस जलाशय द्वारा कितना पानी दिया जा सकता है उसका क्षेत्रवार आकलन कर प्रतिवेदित करें और नहर की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मति भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

9. ग्रामीण विकास विभाग

आयुक्त, मनरेगा द्वारा बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत सभी पंचायतों में शेल्फ ऑफ वर्क तैयार कर लिया गया है। निदेशित किया गया कि प्रत्येक पंचायतों में water recharge की योजनाएँ, यथा, नाला, तालाब, वृक्षारोपण की योजनाएँ चलाने की कार्य योजना तैयार कर ली जाए।

10. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मुख्य सचिव के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को शताब्दि अन्न कलश योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2 – 2 क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनप्रणाली विक्रेता के पास रखवाने का निदेश दिया गया है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 19.06.15 को 5.30 बजे अपराह्न आहुत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(ए0 के0 सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014................/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 2251 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/6/15

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/15
विशेष सचिव